समाहरणालय, मुंगेर
मुंगेर–811201
(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 47/आ0प्र0, दिनाक 15.11.18 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय मुख्य शीर्ष–2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–112–जनसंख्या का निष्क्रमण उपशीर्ष –0002– जनसंख्या का निष्क्रमण मद में अनुदान विपत्र कोड–39–2245021120002 के अन्तर्गत इस जिला को मो0 5.22 (पाँच लाख बाईस हजार) रूपये का आवंटन बाढ़ 2018 एवं दुर्गापूजा, कालीपूजा एवं छठ महापर्व के अवसर पर प्रतिनियुक्त गोताखोरो एवं नावों का संभावित भाड़ा भुगतान हेतु प्राप्त हुआ है। मांग संख्या 39 विस्तृत शीर्ष –35– राहत विषय शीर्ष–01 नगद/वस्तु।

उक्त प्राप्त आवंटन को अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर के पत्रांक 1680/सदर दिनांक 04.10.18, अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर का पत्रांक 1256/सदर दिनांक 04.10.18, अंचल अधिकारी, बरियारपुर के पत्रांक 788/दिनांक 03.10.18 एवं अंचल अधिकारी, धरहरा के पत्रांक 1171/दिनांक 04.10.18 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में निम्न प्रकार उपावंटित किया जाता है:–

क्रमांक	अंचल का नाम	उपावंटित राशि
1	2	3
01	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर।	1,36,650.00 (एक लाख छत्तीस हजार छः सौ पचास)रू0 मात्र।
02	अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर।	1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार)रू0 मात्र
03	अंचल अधिकारी, बरियारपुर	1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार)रू0 मात्र
04	अंचल अधिकारी, धरहरा	85,350.00 (पचासी हजार तीन सौ पचास)रू0 मात्र
	कुल उपावंटित राशि	5,22,000.00 (पाँच लाख बाईस हजार)रूपये मात्र।

आदेश दिया जाता है कि बाढ़ 2018 एवं दुर्गापूजा, कालीपूजा एवं छठ महापर्व के अवसर पर प्रतिनियुक्त गोताखोरो एवं नावों का भाड़ा भुगतान (नियमानुसार) चेक/ R.T.G.S/ NEFT के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।

1. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर/अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर/बरियारपुर एवं धरहरा को निदेश दिया जाता है कि उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
2. उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।
3. पूर्व उपावंटित राशि जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय तो 15.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।
4. उपावंटित राशि का निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष' लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पस्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एव व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।
6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

Sd/–

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1485/आ0प्र0, दिनांक 23/11/18

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को आवंटन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर/अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर/बरियारपुर एवं धरहरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के आवंटन पत्रांक 47/आ0प्र0, दिनांक 15.11.18 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर। 21/11

E:\Allotment Letter Only\अग्नि कांड ऊपावंटन 1.Docx65